Shri Surendranath Dwivedy: In the afternoon, let him tell us.

Mr. Speaker: He will tell us a fortnight before the ending of the session. That means, next week he will tell us.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Why not on Monday?

Mr. Speaker: I would not have any objection.

Shri Surendranath Dwivedy: Let us have some indication, whether it will be for a week, ten days or three days some indication.

Shri Satya Narayan Sinha: The session is to terminate on the 24th and I would let the House know fifteen days before. I tell you in any case that if the House is going to be extended it will not be extended for more than a day or two.

12.15 hrs.

STATEMENT *RE*: ALLEGATIONS AGAINST MINISTER

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): Mr. Speaker, with your permission, I would like to make a statement.

I am taking the first opportunity of contradicting certain wild and incorrect allegations made against me by Shri Prakash Vir Shastri on 2nd September, 1965, during the discussion on the Aligarh Muslim University Amendment Bill, 1965.

Shri Prakash Vir Shastri stated that I was a member of the Jamiat-e-Ulema Hind and its working committee. The Jaimat has a glorious record of service and sacrifice for the cause of Indian freedom and some of our greatest patriots have been its members. There is therefore nothing wrong in being its member, but as a matter of fact I am not and have never been a member of the Jamiat or any of its committees.

Shri Prakash Vir Shastri also said that I have opposed the Aligarh Muslim University Amendment Bill even though I am a member of the Cabinet. I am grateful to the Prime Minister who immediately contradicted him and clarified the position. I need therefore say nothing further on this point.

Shri Prakash Vir Shastri further stated that as Chairman of the Central Wakf Council, I have permitted the utilisation of Wakf funds for helping an agitation against the Bill. This is absolutely false. Obviously, Shri Prakash Vir Shastri knows nothing about the constitution or functions of the Council or of Wakf Boards. No Wakf fund can be used for any purpose except those specified in the Wakf Deed and in any case, the Central Wakf Council has nothing to do with the funds of the individual Wakfs or State Wakf Boards.

Statements in Parliament are privileged and impose a greater responsibility on Members who make them. I therefore seek your protection against such attempts to malign a Member on the basis of unfounded reports.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर दीजिये । आप संसदीय परम्परा से परिचित हैं । जब आप माननीय सदस्यों को किसी समिति मे नामिनेट करते हैं या कोई सरकार का विभाग किसी कमेटी मे किसी माननीय सदस्य को लेना चाहे तो पहले सम्बन्धित सदस्य से उस की सहमति ली जाती है कि अमुक विभाग इस कमेटी में आप को नामिनेट करना चाहती है आप इस से कहां तक सहमत हैं ? जब वह सदस्य अपनी सहमति दे देता है तब वह घोषणा की जाती है कि उस समिति में अध्यक्ष महोदय की ओर से या अमुक विभाग की ओर से उस सदस्य को नामिनेट किया गया । कल जब प्रधान मंत्री जी ने इस बात का खण्डन किया कि श्री हुमायूं कबीर जमायत उल उलेमा की गवर्निंग बाडी के मेम्बर हैं तो मैंने प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि जमायत उल उलेमा का अपना प्रमुख पत्र है "अल जमीयत" जो जमायत उल उलेमा की नीतियों और उसके समाचारों को जनता तक पहुंचाता है, उस के 21 जुलाई के अंक में यह समाचार प्रकाशित हुआ है.....

अध्यक्ष महोदय : यह आप ने कल बतलाया था और पढ़ा था ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ने इस आधार पर निवेदन किया कि श्री हुमायून कबिर जैसे जिम्मेदार आदमी और एक बड़े मिनिस्टर के पास जब कि अपना एक इन्फार्मेशन आफिसर है तब वह उस पत्र में इतनी प्रमुखता से लिखे हुए इस समाचार का खण्डन कर सकते थे । चूंकि वह संगठन और वह पत्र श्री चागला के खिलाफ एक कैम्पेन चला रहा था तो जो विरोध श्री हुमायून कबिर ने आज किया उस को महीने दो महीने पहले भी तो कर सकते थे जिस से देश के अन्दर यह भ्रम ही न उत्पन्न होता ।

दूसरे जहां तक वक्फ बोर्ड का सम्बन्ध है, आप ने मुझ से कहा था कि इतनी बड़ी बात जो तुम कह रहे हो तो किसी जिम्मेदारी से कह रहे हो । मैं ने आप से उसी समय यह अनुरोध किया था कि अगर आप आज्ञा दें तो मेरे पास उस मेमोरैन्डम की कापी है जो युनाइटेड मुसलिम फ्रंट के लीडर श्री असरारुल हक ने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को दी है । अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस की एक कापी हाउस की टेबल पर रख दूं, ताकि सदस्यों को वास्तविकता से परिचय हो सके । इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने केवल यही नहीं लिखा है कि श्री चागला के खिलाफ जो केम्पेन चला है उसमें वक्फ बोर्ड का पैसा खर्च हुआ । उसमें यह भी लिखा है कि जो सज्जन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने गए थे उन्होंने भी वक्फ बोर्ड का पैसा खर्च किया ।

मैं सारी बातों में नहीं जाना चाहता । आप को अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली के एक प्रमुख दैनिक पत्र में यह समाचार छपा कि अमैयत की जिस बैठक में अलीगढ़ के बारे में प्रस्ताव पास हुआ उसमें इन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मौजूद था । आप उस पत्र को मंगा कर देख सकते हैं । इन सब बातों के बावजूद प्रधान मंत्री इन तथ्यों पर परदा

डालने की कोशिश कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि यह बात झूठ हो, लेकिन अगर सच्ची है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में बैठने का अधिकार कैसे है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सब मेम्बरों को बड़े सत्कार के साथ यह सूचना देना चाहता हूं कि अगर किसी पत्र में कोई बात निकल भी आवे तो सिर्फ इतने पर ही आपको प्रिविलेज नहीं हो जाता कि उसी के आधार पर यहां सारी चीजें रख दें ।

मैं यह मानता हूं कि मेम्बर साहिबान के पास जो सोर्सेज हो सकता है इनफारमेशन का वह आम तौर पर पत्र ही हो सकते हैं और वे उन्हीं को देख सकते हैं । लेकिन जब उनको किसी मिनिस्टर या मेम्बर या अन्य डिगनिटरी का क्रिटिसिज्म करना हो तो उसके लिए यह एक आधार काफी नहीं, उसे इसके लिए कुछ और तहकीकात करनी लाजिमी है । सिर्फ यह काफी नहीं है कि चूंकि पत्र में एक बात निकल आयी इस वास्ते किसी का नाम ले देना जरूरी है । तो मिनिस्टर साहब ने पहली बात इस बारे में यह कही कि वह उस संस्था के मेम्बर नहीं हैं । अगर अब शास्त्री जी और ज्यादा कहते हैं कि इसमें तहकीकात की जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन उसके नतायज यह होंगे कि जो गलत साबित होगा उसको इस हाउस से माफी मांगनी होगी । अगर आप इस पर जिद करते हैं तो मैं इसकी तहकीकात करने के लिए तैयार हूं ।

उन्होंने कहा कि मिनिस्टर साहब को नामिनेट किया गया । हो सकता है कि उन्होंने उनको नामिनेट किया हो लेकिन उन्होंने नामंजूर किया हो । ऐसी हालत में यह कहना कि यह मेम्बर है, ठीक नहीं । सिर्फ अखबार को देख कर ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अगर वह बात गलत भी निकले तो जिसके खिलाफ कहा गया उसकी जाहरत पर तो असर हो जाता है । वह इस बारे में उनसे लिख कर पूछ सकते थे, जबानी बात कर सकते थे, टेलीफोन

[अध्यक्ष महोदय]

कर सकते थे और अपने को सैटिसफाई कर सकते थे ।

एक माननीय सदस्य : इसका कांट्रेडिक्शन नहीं निकला ।

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का कांट्रेडिक्शन किया जाए । कई चीजें तो नोटिस में भी नहीं आ पाती और फिर हर बात का कांट्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है ।

दूसरी बात आपने यह कही कि वक्फ के प्रधान ने लिखा है कि वक्फ का रुपया इस काम में खर्च होता रहा । लेकिन वक्फ किसी स्टेट्यूट के मुताबिक चलता होगा । अगर आप चाहते हैं और इस पर स्टिक करते हैं तो मैं इसकी भी तहकीकात कर सकता हूं । अगर आप को यकीन हो . . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप डिबेट में मेरे शब्द पढ़ लें । मैं ने कहा कि प्रधान मंत्री जी को जो मैमोरेंडम दिया गया है उसमें क्या उचाई है इसका वह पता लगावें, और अगर यह बात सच्ची है तो इस प्रकार के व्यक्ति को उनके मंत्रिमंडल में बैठने का अधिकार नहीं है . . . .

अध्यक्ष महोदय : पहले तो आप एक इल्जाम लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि इसका पता लगाया जाए कि यह सही है । यह तो एक्सट्रीम तक जाना है कि पहले एक आदमी पर अपने को बिना सैटिसफाई किए चार्ज लगा देना, अपने पास उसका सबूत हुए बगैर चार्ज लगा देना और फिर कहना कि अगर वह गलत है तो इसको दुरुस्त कर दिया जाए । यह तो काफी नहीं हो सकता । ऐसा कहने के पहले उनको पूरी जिम्मेवारी से पता लगा लेना चाहिए और अपने आप को सैटिसफाई कर लेना चाहिए । ऐसा हम करेंगे तभी हमारी इज्जत होगी और हमारे बयानों पर लोगों को ऐतबार होगा कि जो हम कहते हैं जिम्मेदारी से कहते हैं ।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Clarifications are made quite often on the floor of this House. I think this should be made a test case. Shri Prakash Vir Shastri should prove his allegations and the Minister concerned should also place the facts before you, and you should be pleased to take a decision. Because, I think the atmosphere of the Lok Sabha is spoiled by such bandying of words across the Table between an Opposition Member and a Minister. This should be put an end to for all time to come. This can be done only if you have this as a test case and come to an impartial and objective decision about it, so that nothing like this happens in future.

श्री बड़े (खारगोन) : कल प्रकाशवीर शास्त्री ने जो वक्तव्य दिया था उस में कहा था कि उस मैमोरेंडम में हुमायूं कबिर साहब का नाम लिखा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा था कि ऐसा लिखा हुआ है, सुन लिया । क्या हाउस का और प्रकाशवीर शास्त्री का यह मंशा है कि इस की तहकीकात की जाए ? मैं समझता हूं कि यह एक्सट्रीम में जाना होगा कि इस को टैस्ट केस बनाया जाए । मेरे ख्याल में इस बात का हमें अफसोस तो है लेकिन शायद इस की तहकीकात करना ठीक नहीं होगा । इस को यहीं छोड़ दिया जाए । लेकिन अगर यह हाउस की मर्जी है कि इस की तहकीकात की जाए तो मैं बंधा हुआ हूं । क्या शास्त्री साहब चाहते हैं कि इस की तहकीकात की जाए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं चाहता हूं पत्र ने समाचार और फन्ट ने ज्ञापन दिया या नहीं इसे जांच लें ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं तो इसे लिए लेता हूं। क्या मिनिस्टर साहब की भी यही मर्जी है . . . .

Shri Humayun Kabir: I certainly accept this. I would only suggest that the parliamentary procedure in the U.K. should be followed, *viz.,* whoever is proved to have made a false statement in this House his services should be dispensed with by this House. If he is proved to have made a false statement he should lose his seat in this parliament for the rest of its tenure. I am prepared to accept this challenge.

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की कोई शर्त रख कर हाउस को चलना ठीक नहीं है। लेकिन दोनों पार्टीज कहती हैं तो तहकीकात करायी जाएगी। इस में कोई शक नहीं कि जो गलत साबित होगा उस को हाउस कुछ न कुछ सजा एक्सप्रैस करेगा। लेकिन कोई शर्त नहीं लगायी जा सकती। हाउस देख लेगा कि वह इतना झूठ है कि एक्स्ट्रीम तक जाना जरूरी है। लेकिन यह शर्त नहीं जोड़ी जा सकती। सजा के बारे में हाउस फैसला करेगा उन सरकमस्टांसेज में जो सामने आयेंगे। मगर चूंकि दोनों तरफ से इसको चेलेंज किया जा रहा है, मैं इस की तहकीकात करूंगा और इस के नतायज हाउस को बतलाऊंगा।

श्री मुजफ्फर हुसैन (मुरादाबाद) मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता था कि जो प्रकाशवीर शास्त्री साहब ने हुमायूं कबिर साहब पर इल्जाम लगाया कि वक्फ का रुपया खर्च किया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह जमैयत जिस के वह प्रेसीडट हैं उस का मैं सेक्रेटरी हूं। मेरे सामने कोटा राजस्थान से ट्रंक काल किया गया था मिस्टर बागला को और उन से कहा गया था कि अगर मुझे कोर्ट का मैम्बर बना दिया जाए और मुगल लाइन का डाइरेक्टर बना दिया जाए तो

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। आपने जो कल कहा था वह मैं ने सुन लिया था। यह आप ने अपनी तकरीर में कहा था। मैं ने सुना। जब आप ने कह लिया तो फिर उस को दुहराने की क्या जरूरत है।

12.29 hrs.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will take up clause-by-clause consideration of the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920.

We will take up clause 2.

Clause 2—(*Amendment of section* **23**)

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indians): Sir, I beg to move:

Pages 1 and 2,—

for lines 11 and 1 to 8 respectively, *substitute—*

"(2) The Court shall be the supreme governing body of the University and shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by this Act, Statutes, Ordinance and Regulations:

Provided that every new Statute or amendment or repeal of an existing Statute shall require the previous approval of the Visitor who may sanction or disallow it or return it for further consideration.". (21).

Shri Koya (Kozhikode): Sir, I beg to move:

Page 2,—

after line 5 *insert—*

"(c) to give directions as it deems fit to the appropriate authorities of the University on matters concerning the imparting of religious instruction to the Muslim students of the University;

(d) to pass resolutions on the management and administration of